पत्र संख्या–वन भूमि–07 / 2015–..... / व0प0

झारखण्ड सरकार,

वन एवं पर्यावरण विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– गुमला जिलान्तर्गत मौजा – बनालात में C.R.P.F Camp का निमार्ण हेतु 1.60 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–466 दिनांक– 05.06.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि गुमला जिलान्तर्गत मौजा – बनालात में C.R.P.F Camp का निमार्ण हेतु 1.60 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन संबंधित प्राप्त प्रस्ताव की समयक समीक्षोपरान्त भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–11–9 / 98 एफ0सी0 दिनांक–13.05.2011 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची की अनुशंसा से सहमत होते हुए विषयगत परियोजना में सन्निहित 1.60 हे0 वन भूमि अपयोजन हेतु सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्त्तो के साथ दी जाती हैः–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C)-202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के आलोक में अपयोजित होनेवाली 1.60 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।

(iii) यदि NPV दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई / अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।

(iv) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को कैम्पा खाता में जमा करना होगा।

(v) प्रस्तावित वनभूमि में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

(vi) वनभूमि पर किसी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं स्थापित किया जायेगा।

(vii) यदि गैर वनभूमि पर लेबर कैम्प स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को इंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तद्नुसार एक वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।

(viii) परियोजना में कार्यरत मजदूरो / ठेकेदारों तथा पुलिस पिकेट बनने के बाद वहाँ रहने वाले पुलिस कर्मियों द्वारा आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

(ix) अपयोजित होनेवाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

(x) भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई भी शर्त लगायी जाती है तो उन शर्त्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।

(xi) उपर्युक्त शर्त्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निदेश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

सैद्धान्तिक सहमति के शर्तो के अनुपालन होने के उपरान्त अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन
ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभुमि–07/2015 व0प0, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कर्यालय–राँची, बंगला न0–A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची–834002 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभुमि–07/2015 व0प0, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/पुलिस अधीक्षक, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभुमि–07/2015 3268 व0प0, राँची, दिनांक– 19/06/2015

प्रतिलिपि– श्री मनोज कुमार प्रमाणिक, कम्प्युटर ऑपरेटर, वन एवं पर्यावरण विभाग को स्वीकृत्यादेश की प्रति भारत सरकार के वेबसाइट/स्टेट पोर्टल (www.jharkhand.gov.in) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/6/15
सरकार के उप सचिव